रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 27 अक्तूबर, 2005/5 कार्तिक, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 22 सितम्बर, 2005

संख्या पंच-के० जी० आर०-निर्वाचन/2005-6199-6916. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिनियम 1994) 1994 के अधिनियम संख्या 4 की धारा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 87 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भरत खेड़ा (भा०प्र०से०) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा के समस्त विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या संलग्न सारणी अनुसार निर्धारित करता हूं।

2570-राजपत्र/2005-27-10-2005—1,472. (4195) मूल्य : 1 रुपया।

विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों के

जिला का नाम :

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार विकास खण्डों की जनसंख्या					अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विकास खण्डों की जनसंख्या		
		कुल	अ० जा०	अ० जा० %	अ० ज० जा०	अ० ज० जा० %	कुल जनसंख्या	पिछड़े वर्ग की संख्या	पिछड़े वर्ग की %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इन्दौरा	96192	25568	26.58	—	—	96192	23377	24.30
2.	देहरा	112601	24305	21.58		—	112601	46014	40.86
3.	पंचरुखी	54584	21165	38.77	—	—	54584	12153	22.26
4.	नगरोटा बगवां	90753	9112	10.04	—	—	90753	68114	75.05
5.	कांगड़ा	120992	15501	12.81	—	—	120992	76234	63.00
6.	नगरोटा सूरियां	88839	16178	18.21	—	—	88839	24097	27.12
7.	भवारना	81737	15910	19.46	—	—	82115	34585	42.11
8.	नुरपुर	101614	22128	21.77		—	101614	24731	24.33
9.	सुलह	62708	11562	18.43	—	—	62330	26926	43 19
10.	लम्बा गांव	73157	21573	29.48	—	—	73157	15140	20.69
11.	प्रागपुर	104743	26253	25.06	—	—	104743	20040	19.13
12.	रत	109251	24270	22.21	—	—	109251	51983	47.58
13.	बैजनाथ	80557	19321	23.98	—	—	80557	20196	25 07
14.	फतेहपुर	94251	16638	17 65	—	—	94251	36386	38.60
	योग ..	1271979	269484				1271979		

प्रधानों के लिए आरक्षित पदों की संख्या

कांगड़ा

विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	विकास खण्ड में आरक्षित पदों की संख्या								अनारक्षित पदों की संख्या
	अनु0 जाति		अनु0 ज0 जा0		अ0 पि0 वर्ग		सामान्य महिला	कुल आरक्षित पदों की संख्या	
	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	9	4	—	—	4	3	10	30	19
64	9	5	—	—	7	3	14	37	26
37	9	5	—	—	4	2	6	26	11
54	3	2	—	—	5	3	14	26	27
67	6	3	—	—	6	4	16	35	32
48	6	3	—	—	4	3	11	27	21
46	6	3	—	—	4	3	10	26	20
52	7	4	—	—	5	3	11	30	22
47	6	3	—	—	4	3	11	26	20
55	11	5	—	—	5	3	11	35	20
75	13	6	—	—	7	4	15	45	30
61	9	5	—	—	6	3	13	36	25
51	8	4	—	—	5	3	11	30	20
54	7	3	—	—	5	3	12	30	24

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 23 सितम्बर, 2005

सं० पी० सी० एच-के० जी० आर-ई-6959.- नायब तहसीलदार, मूल्थान ने अपने कार्यालय पत्र सं० 591, रीडर, दिनांक 2-9-2004 के अन्तर्गत सूचित किया था कि श्री लच्छमण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मूल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ ने सरकारी भूमि स्थित खसरा नं० 2174/1,/2239/1, किस्सा 2, रकबा तादादी 0-00-48, मुहाल मूल्थान पर अवैध कब्जा करके दुकान का निर्माण किया है इसके अतिरिक्त समाहर्ता, बैजनाथ ने भी अपने निर्णय जो दिनांक 9-05-05 को लिया गया है के द्वारा उक्त प्रधान को S/s of section 5(1) the H.P. Public Premises Land (Eviction and Rent recovery) Act, 1971 के अन्तर्गत अवैध कब्जधारी घोषित किया है।

यह कि श्री लच्छमण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मूल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण कर हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ढ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप उक्त प्रधान को हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत मूल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्री लच्छमण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मूल्थान को निर्देश दिये जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिये आपको प्रधान, ग्राम पंचायत मूल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ के पद से निष्कासित किया जाये। आपका उत्तर इस नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

धर्मशाला, 23 सितम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-के० जी० आर०-ई०-6964.—ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड प्रागपुर के कुछ निवासियों द्वारा शिकायत की गई थी कि श्री जुल्फी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह ने सरकारी भूमि स्थित खसरा नं० 746/482/3 एवं 483 मिन स्थित मुहाल प्रागपुर में नजायज कब्जा किया हुआ है। मामले की जांच खण्ड विकास अधिकारी, प्रागपुर द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट में भी उक्त नजायज कब्जा की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त उप-प्रधान द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के नियमितिकरण हेतु भी शपथ-पत्र दायर किया गया है। उपरोक्त कृत्य के लिये श्री जुल्फी राम, उप-प्रधान को इस कार्यालय द्वारा उप-प्रधान से अयोग्य घोषित किया गया है।

यह कि श्री जुल्फी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण एवं मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ढ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप उक्त उप-प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड प्रागपुर के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्री जुल्फी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह को निर्देश दिये जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिये आपको उप-प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड प्रागपुर के पद से निष्कासित किया जाये। आपका उत्तर इस नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहते

तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अपील में लाई जायेगी ।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 26 सितम्बर, 2005

संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई0 (15) 219/83-6987.—चूंकि श्रीमती कुसुम कौण्डल, प्रधान ग्राम पंचायत बिन्द्रावन, विकास खण्ड भवारना, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध इसी पंचायत के उप-प्रधान तथा छः वार्ड पंचों द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (ना0), पालमपुर से शिकायत की गई थी कि प्रधान द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु0 1,73,386.00 रुपये का दुरुपयोग किया गया है। मामले की जांच उप-मण्डल अधिकारी (ना0), पालमपुर के माध्यम से करवाई गई थी जिसके अन्तर्गत प्रधान दोषी पाई गई है ।

और चूंकि इस कार्यालय के पत्र सं0 पंच-के0 जी0 आर0-ई0 (15) 219/83-675-70, दिनांक 27-5-2005 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भेजा गया था जिसका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, भवारना के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आपका उत्तर असन्तोषजनक, आधारहीन एवं तथ्यों के प्रतिकूल है । क्योंकि प्रधान, ग्राम पंचायत बिन्द्रावन अपने कर्त्तव्य निर्वहन में असफल रही है तथा उन्होंने प्रधान पद की शक्तियों व निष्ठा के विरुद्ध कार्य किया है ।

अतः मैं, चैन सिंह, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम कौण्डल, प्रधान, ग्राम पंचायत बिन्द्रावन, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा को तुरन्त प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत की किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें ।

सं0 पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-ई0 (9) 1/91-6994

प्रेषित :

श्रीमती सुदेश पठानिया,
प्रधान, ग्राम पंचायत झींका रतियाल,
विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा ।

धर्मशाला, दिनांक 26-9-2005

विषय—कारण बताओ नोटिस ।

ज्ञापन :

श्री प्रकाश सिंह गुलेरिया, उप-प्रधान व अन्य सदस्य, ग्राम पंचायत झींका रतियाल, द्वारा शिकायत की गई थी कि श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झींका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर द्वारा कार्यवाही रजिस्टर से बाहर

ही ठेका शराब खोलने बारे फर्जी प्रस्ताव जारी किया गया है । उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु मामला इस कार्यालय के पत्र संख्या 580, दिनांक 17-5-2005 के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर को जांच हेतु प्रेषित किया गया था जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने कार्यालय पत्र संख्या 2363, दिनांक 15-07-2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की है जिस अनुसार उपरोक्त तथ्य की सत्यता की पुष्टि होती है ।

चूंकि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे प्रतिभाशाली पद पर बने रहना जनहित में नहीं है ।

अतः मैं, चैन सिंह, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) व (2) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1994 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत पढ़ा जाये, श्रीमति सुदेश पठानिया, प्रधान ग्राम पंचायत झोंका रतियाल को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिये आपको प्रधान पद से निलम्बित किया जाये आपका उत्तर इस पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

संलग्नक : दोषारोपण सूचि ।

अनुसूचि-1

उन तथ्यों की सूचि जिनके अन्तर्गत श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर के विरुद्ध आरोप पत्र अधिरोपित किया गया है :—

यह कि श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर द्वारा कार्यवाही रजिस्टर से बाहर-बाहर अपनी मर्जी से ठेका शराब खोलने बारे फर्जी प्रस्ताव जारी किया है जिससे स्पष्ट है कि उन द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है ।

अतः प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल का यह कृत्य प्रधान पद की गरिमा के प्रतिकूल है जिस कारण उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी वांछित है ।

अनुसूचि–2

उन तथ्यों की सूचि जिनके अन्तर्गत श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं :—

यह कि श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को छानबीन रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 2363, दिनांक 15-7-2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की गई जिस अनुसार पाया गया कि प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा ठेका शराब खोलने बारे कार्यवाही रजिस्टर से बाहर हो अपनी मर्जी से प्रस्ताव पारित किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोंका रतियाल द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है जिस कारण उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी वांछित है ।

अनुसूचि-3

उन दस्तावेजों की सूचि जिनके अन्तर्गत श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं :—

1. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट संख्या 2363, दिनांक 15-07-2005.

अनुसूचि-4

उन गवाहों की सूचि जिनके अन्तर्गत श्रीमती सुदेश पठानिया, प्रधान, ग्राम पंचायत झोका रतियाल, विकास खण्ड फतेहपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं :—

1. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर ।
2. निरीक्षक पंचायत, विकास खण्ड फतेहपुर ।

चैन सिंह,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित